राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2510/2025

मौहर सिंह मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर संभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kafanwada, ब्लॉक लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2025

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द कटारा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय धिवाडी, तहसील कठूमर आदेश दिनांक 05.03.2005 के द्वारा पदस्थापित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. करने की अनुमति दी गई और अपीलार्थी ने बी.एड. की योग्यता हासिल की। तदुपरांत अपीलार्थी ने वर्ष 2009 में स्नात्कोत्तर योग्यता अर्जित की और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका तर्क है कि वरिष्ठता निर्धारण वर्ष 2004–05 में अपीलार्थी की मण्डल वरिष्ठता अनुसार उसका नाम वरिष्ठता क्रमांक 2557डी पर अंकित था, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया और उसे वर्ष 2019–20 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक वर्ष 2016–17 में पदोन्नत किये गये, परंतु अपीलार्थी को वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वर्ष 2016–17 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ जो उससे कनिष्ठ कार्मिक को दिये गये हैं, अपीलार्थी को भी प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/

नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष